



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

15 दिसंबर 2021

**आरबीआई ने 'परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश'
का मसौदा जारी किया**

बैंकों के लिए बासेल III मानकों के साथ रिज़र्व बैंक के विनियमों के अभिसरण के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने हितधारकों तथा जनता की टिप्पणियों के लिए आज अपनी वेबसाइट पर '[परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश](#)' का मसौदा रखा है। ये निदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र वाले बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे।

सभी हितधारकों द्वारा मसौदा मास्टर निदेश पर टिप्पणियां 31 जनवरी 2021 तक [ईमेल](#) द्वारा 'परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मसौदा मास्टर निदेश पर टिप्पणियाँ' विषय लिखकर भेजे जा सकते हैं।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1358

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक